39-2-2014-10,000 प्र.

कार्यवाही विवरण पंजिका "ब"

न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेषन (प्रथम) बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– साँवरमल रैगर आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 21/2020

1. श्री राजू खां जमाल खां जाति मुसलमान निवासी बज्जू तेजपूरा तहसील बज्जू जिला बीकानेर
———वादी

बनाम

1. पतासी देवी पत्नि हजारीराम
2. नारायण राम पि0 हजारीराम
3. रमेश कुमार पि0 हजारीराम
4. सोमराज पि0 हजारीराम

} जाति विश्नोई निवासी बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर

5. राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

———प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ।

उपस्थिति :–
1. श्री हनुमान गिरी वकील वादी
2. प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही
3. प्रतिवादी सं0 3 व 4 सूचना बावजूद अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक :– 28.05.2024

1. वादी ने एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4 के नाम उपनिवेशन तहसील गजनेर के ग्राम बज्जू खालसा के खसरा नंबर 441 के रकबा 39 बीघा खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/5 है। प्रतिवादी सं0 1 से 4 का हिस्सा 4/5 है जो दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4 का संयुक्त कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है।
2. सर्वप्रथम वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 की तरफ से श्री राजेन्द्र विश्नोई ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं0 3 व 4 बावजूद इतला के अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी सं0 5 राजपैरोकार का जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का जवाब दिनांक 20.12.2022 को जवाब बंद किया गया।
3. वादी के वकील ने वादपत्र के सलंग्न पटवारी हल्का बज्जू खालसा द्वारा जारी ग्राम बज्जू खालसा की खसरा गिरदावरी सवंत 2074 से 2077 की नकल पेश की जो वाद पत्रावली में सलंग्न है।
4. वादपत्र, वादपत्र के सलंग्न दस्तावेज मुताबिक वादपत्र वादी बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने का आनुतोष चाहा गया है। हमने उभय पक्ष के द्वारा पेश किये गये वादपत्र व समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के सयुक्त नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा प्रत्येक खातेदार को अपना खाता तकसीम करवाने का उपचार/अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में उपलब्ध है ताकि एक खातेदार अपना अलग से खाता तकसीम करवाकर अपनी भूमि को बेहतर सुधार कर सकता है व वित्तीय संसाधन जुटाकर अधिक

(साँवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

उपजाउ बना सकता है व अलग से लगान कायमी होने से अपना लगान समय पर जमा करवा सकता है जबकि सयुक्त खातेदार होने पर इन कार्यों/परिलाभों पर अक्सर सहमति नही बन पाती है एवं उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त लम्बे अर्से से चला आ रहा है एवं अपने अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कर रहे है एवं उभय पक्षों द्वारा सहमति प्रदान करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

5. अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है ओर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम बज्जू खालसा के खसरा नंबर 441 में 39 बीघा भूमि खातेदारी है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1ता 4 का 4/5 हिस्सा है। उपरोक्त खातेदारी भूमि में वादी के हिस्से में 7.80 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं0 1 से 4 के हिस्से में 31.20 बीघा भूमि आती है। वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर अलग से लगान कायम कर अलग खाते एवं लगान कायम करते हुए उनकी भूमि नजरीये नक्शा में अलग अलग रंगों में दर्शीत करते हुए इस आशय के प्रस्ताव तैयार कर 15 दिवस में इस न्यायालय में भिजवायें ताकि पक्षकारान के पक्ष में अन्तिम डिक्री विभाजन बाबत मंजुर की जा सके ।

6. निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति पालना के लिए उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मु0 कोलायत को भिजवाई जावे।

7. पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः– 28.05.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत

39-2-2014-10,000 प्र.

कार्यवाही विवरण पंजिका "व"

प्राथमिक डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत साँवरमल रैगर , आर.ए.एस.,

सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत

श्री राजू खां बनाम श्रीमति पतासी देवी आदि

मुकदमा नं. 21/2020 दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री हनुमान गिरी, अधिवक्ता उपस्थित मिनजानिब मुदई अनुपस्थित मिनजानिब मुदालय पेश हुक्म दिया जाता है व डिकी किया जाता है कि ग्राम बज्जू खालसा के खसरा संख्या 441 रकबा 39 बीघा में 1/5 हिस्सा श्री राजूखां वल्द जमाल खां कौम मुसलमान निवासी बज्जू तेजपुरा तहसील बज्जू जिला बीकानेर एवं 4/5 हिस्सा पतासी देवी पत्नि हजारीराम, नारायण राम पि0 हजारीराम, रमेश कुमार पि0 हजारीराम, सोमराज पि0 हजारीराम जाति विश्नोई निवासी बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर की भूमि के संम्बन्ध में प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है।

नीज – मुबलिक – बाबत खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर फिस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल यानी तक – को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.05.2024 को डिकी जारी की गई। उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु. कोलायत को निर्णय व डिकी की प्रति पालनार्थ प्रेषित है।

हस्ताक्षर

ओहदा

मुदई	रूपया	न.प.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प तलबाना	–	–	स्टाम्प तलबाना	–	–
महनताना वकील	–	–	महनताना वकील	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–